



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268874
CG-DL-E-29122025-268874

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5779]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 5779]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5978(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20क के उपखंड (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखंड (ii) तारीख 23 अक्टूबर, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4881(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में प्रस्तावित जौनपुर जंक्शन—जाफराबाद दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना (6.28 किमी.) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "अमर उजाला" (हिन्दी) तथा "टाइम्स ऑफ इण्डिया" (अंग्रेजी), 29 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसके अन्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है।

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है। कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची									
उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में प्रस्तावित जौनपुर जंक्शन-जाफराबाद दोहरीकरण विशेष रेल परियोजना (6.28 किमी.) के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण									
क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण / आंशिक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	प्रभावित क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जौनपुर	सदर	(1) चाचकपुर	49	आंशिक	निजी	कृषि	0.0040	जय सिंह पुत्र स्व. रामदुलार, सावित्री देवी पत्नी स्व. राम दुलार नि. सिपाह, मीना देवी पत्नी रामजियावन नि. ग्राम
				50	आंशिक	निजी	कृषि	0.0057	जय सिंह पुत्र स्व. रामदुलार, सावित्री देवी पत्नी स्व. राम दुलार नि. सिपाह, मीना देवी पत्नी रामजियावन नि. ग्राम
				826	आंशिक	निजी	कृषि	0.4340	हीरावती पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत निषाद, बृजेश निषाद, सुनील निषाद, अनिल कुमार निषाद पुत्रगण स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रावती पत्नी स्व. मिश्रीलाल, अरविन्द निषाद, रविन्द्र निषाद, टिकू निषाद पुत्रगण मिश्रीलाल, कलावती पत्नी स्व. शिवदास, जितेन्द्र कुमार, उपेन्द्र निषाद, धर्मेन्द्र निषाद, पिन्दू निषाद पुत्रगण स्व. शिवदास, सावित्री पत्नी सेवालाल, आशीष, सतीश, उमेश, रविन्दर पुत्रगण स्व. सेवालाल नि. बशीरपुर, सुनीता साहू पत्नी सुनील कुमार साहू नि. फिरोसेपुर, उर्दू बाजार जौनपुर, भारत, आजाद कुमार, रवि कुमार पुत्रगण बृजलाल नि. ग्राम, हीरावती पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत निषाद, बृजेश निषाद, सुनील निषाद, अनिल कुमार निषाद पुत्रगण स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रावती पत्नी स्व. मिश्रीलाल, अरविन्द निषाद, रविन्द्र निषाद, टिकू निषाद पुत्रगण मिश्रीलाल, कलावती पत्नी स्व. शिवदास, जितेन्द्र कुमार, उपेन्द्र निषाद, धर्मेन्द्र निषाद, पिन्दू निषाद पुत्रगण स्व. शिवदास, सावित्री पत्नी सेवालाल, आशीष, सतीश, उमेश, रविन्दर पुत्रगण स्व. सेवालाल नि. बशीरपुर, आशा देवी पत्नी लाल साहब, कृपाशंकर, राज बहादुर,

								रमेशचंद्र पुत्रगण अमला प्रसाद, आशीष कुमार, मनीष कुमार पुत्रगण लाल साहब नि. जमैथा, अमरराज, फूलचन्द, लालचन्द पुत्रगण रामऔतार, कुमारी देवी पत्नी रामहरख, रामराज, हंसराज, वंशराज, रामबाबू पुत्रगण रामदेव, उमानाथ, रमानाथ पुत्रगण बजरंगी, लालजी पुत्र लक्ष्मीनारायन, चन्द्रशेखर, रामचेत, राजू पुत्रगण अवधनरायन नि. ग्राम, राहुल मौर्य पुत्र जयसिंह, बदामा पत्नी जयसिंह नि. ग्राम, कुलवन्त सिंह, केशर सिंह पुत्रगण यशवन्त सिंह नि. ग्राम, वंशराज, विजय कुमार पुत्रगण महावीर नि. बशीरपुर, संजय पुत्र नरेन्द्र नि. ग्राम, हीरावती पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत निषाद, बृजेश निषाद, सुनील निषाद, अनिल कुमार निषाद पुत्रगण स्व. राजेन्द्र प्रसाद, इन्द्रावती पत्नी स्व. मिश्रीलाल, अरविन्द निषाद, रविन्द्र निषाद, टिकू निषाद पुत्रगण मिश्रीलाल, कलावती पत्नी स्व. शिवदास, जितेन्द्र कुमार, उपेन्द्र निषाद, धर्मेन्द्र निषाद, पिन्दू निषाद पुत्रगण स्व. शिवदास, सावित्री पत्नी सेवालाल, आशीष, सतीश, उमेश, रविन्दर पुत्रगण स्व. सेवालाल नि. बशीरपुर, आशा देवी पत्नी लाल साहब, कृपाशंकर, राज बहादुर, रमेशचंद्र पुत्रगण अमला प्रसाद, आशीष कुमार, मनीष कुमार पुत्रगण लाल साहब नि. जमैथा, अमरराज, फूलचन्द, लालचन्द पुत्रगण रामऔतार, कुमारी देवी पत्नी रामहरख, रामराज, हंसराज, वंशराज, रामबाबू पुत्रगण रामदेव, उमानाथ, रमानाथ पुत्रगण बजरंगी, लालजी पुत्र लक्ष्मीनारायन, चन्द्रशेखर, रामचेत, राजू पुत्रगण अवधनरायन नि. ग्राम, कुलवन्त सिंह, केशर सिंह पुत्रगण यशवन्त सिंह नि. ग्राम, वंशराज, विजय कुमार पुत्रगण महावीर नि. बशीरपुर, संजय पुत्र नरेन्द्र नि. ग्राम
				योग			0.4437	

[फा. सं. 190-W/Land/Jaunpur]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2025

S.O. 5978(E).— Whereas as by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, Northern Railway (Construction Organization), number S.O. 4881(E), dated the 23 October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23 October, 2025 and issued under Sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Railway Project, namely, **doubling of Jaunpur Junction-Zafrabad Railway Station (6.28 Km.) Project in District-Jaunpur** in the State of **Uttar Pradesh**.

Whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Amar Ujala" (Hindi) and "Times of India" (English), dated the 29 October, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, no objection have been received.

Whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE									
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed with doubling of Jaunpur Junction-Zafrabad Railway Station (6.28 Km.) Project in District-Jaunpur, in the State of Uttar Pradesh									
Sl. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Affected Plot (Full / Part)	Type of Land	Nature of Land	Affected Area (Hectare)	Name of the Land Owner /Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jaunpur	Sadar	(1) Chachakpur	49	Part	Private	Agriculture	0.0040	Jai Singh S/o Late Ram Dular, Savitri Devi W/o Late Ram Dular R/o Sipah, Meena Devi Wo Ramjiyawan R/o Village
				50	Part	Private	Agriculture	0.0057	Jai Singh S/o Late Ram Dular, Savitri Devi W/o Late Ram Dular R/o Sipah, Meena Devi Wo Ramjiyawan R/o Village
				826	Part	Private	Agriculture	0.4340	Heerawati W/o Late Rajendra Prasad, Indrajit Nishad, Brijesh Nishad, Sunil Nishad, Anil Kumar Nishad S/o Late Rajendra Prasad, Indrawati W/o Late Mishrilal, Arvind Nishad, Ravindra Nishad, Tinku Nishad S/o Mishrilal, Kalawati W/o Late Shivdas, Jitendra Kumar, Upendra Nishad, Dharmendra Nishad, Pintu Nishad S/o Late Shivdas, Savitri W/o Sewalal, Ashish, Satish, Umesh, Ravindar S/o Late Sewalal

									R/o Bashirpur, Sunita Sahu W/o Sunil Kumar Sahu R/o Firosepur, Urdu Bazaar, Jaunpur, Bharat, Azaad Kumar, Ravi Kumar S/o Brijlal R/o Village, Hirawati W/o Late Rajendra Prasad, Indrajit Nishad, Brijesh Nishad, Sunil Nishad, Anil Kumar Nishad S/o Late Rajendra Prasad, Indrawati W/o Late Mishrilal, Arvind Nishad, Ravindra Nishad, Tinku Nishad S/o Mishrilal, Kalawati W/o Late Shivdas, Jitendra Kumar, Upendra Nishad, Dharmendra Nishad, Pintu Nishad S/o Late Shivdas, Savitri W/o Sewalal, Ashish, Satish, Umesh, Ravindar S/o Late Sewalal R/o Bashirpur, Asha Devi W/o Lal Sahab, Kripashankar, Raj Bahadur, Rameshchandra S/o Amla Prasad, Ashish Kumar, Manish Kumar S/o Lal Sahab R/o Jamaitha, Amarraj, Phoolchandra, Lalchand S/o Ramautar, Kumari Devi W/o Ramharakh, Ramraj, Hansraj, Vanshraj, Rambabu S/o Ramdev, Umanath, Ramanath S/o Bajrangi, Lalji S/o Laxminarayan, Chandrashekhar, Ramchet, Raju S/o Awadhnarayan R/o Village, Rahul Maurya S/o Jai Singh, Badama W/o Jai Shingh R/o Village, Kulwant Singh, Keshar Singh S/o Yashwant Singh R/o Village, Vanshraj, Vijay Kumar S/o Mahavir R/o Bashirpur, Sanjay S/o Narendra Singh R/o Village, Hirawati W/o Late Rajendra Prasad, Indrajit Nishad, Brijesh Nishad, Sunil Nishad, Anil Kumar Nishad S/o Late Rajendra Prasad, Indrawati W/o Late Mishrilal, Arvind Nishad, Ravindra Nishad, Tinku Nishad S/o Mishrilal, Kalawati W/o Late Shivdas, Jitendra Kumar, Upendra Nishad, Dharmendra Nishad, Pintu Nishad S/o Late Shivdas, Savitri W/o Sewalal, Ashish, Satish, Umesh, Ravindar S/o Late Sewalal R/o Bashirpur, Asha Devi W/o Lal Sahab, Kripashankar, Raj Bahadur, Rameshchandra S/o Amla Prasad, Ashish Kumar, Manish Kumar S/o Lal Sahab R/o Jamaitha, Amarraj, Phoolchandra, Lalchandra S/o Ramautar, Kumari Devi W/o Ramharakh, Ramraj, Hansraj, Vanshraj, Rambabu S/o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const.-II